



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 09.04.2024

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना धूमनगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 166/24 धारा 376/386/406/380/323/504/506 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त गौतम सेख पुत्र स्व0 दयाशंकर सेख निवासी मायापुरी कालोनी छतनाग रोड झूंसी थाना झूंसी जनपद प्रयागराज को दिनांक 08.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर चौफटका पुल के पास थाना क्षेत्र धूमनगंज से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गौतम सेख पुत्र स्व0 दयाशंकर सेख निवासी मायापुरी कालोनी छतनाग रोड झूंसी थाना झूंसी जनपद प्रयागराज, उम्र 43 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 166/24 धारा 376/386/406/380/323/504/506 भा0द0वि0 थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.व0उ0नि0 हंसराज सिंह, थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
- 2.उ0नि0 गौरव सिंह, थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
- 3.का0 अर्पण कुमार, थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

**Operation conviction के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना माण्डा में
धारा 376/366 भा0द0वि0 के अभियुक्त का दोषसिद्धि का विवरण ।**

- 1.दिनांक-30.07.2006 को अभियुक्त संजय यादव पुत्र राम सत्य यादव निवासी बेदौली थाना माण्डा जनपद प्रयागराज के विरूद्ध थाना माण्डा पर मु0अ0सं0-22/2006 धारा 376/366 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 2.अभियोग में आरोपी को दिनांक-15.08.2006 को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध दिनांक-17.08.2006 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया ।
- 3.अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक-09.04.2024 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या-02 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त संजय यादव पुत्र राम सत्य यादव निवासी बेदौली थाना माण्डा जनपद प्रयागराज को धारा 376 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।